प्र.सं. 20/2020 अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम
बिन्द्र सिंह अहीर बनाम सरकार आदि
सीसीएमएस : 2020/00208

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
.01.2022	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा.पं. 71 आरवी में पेश हुई। रिपोर्ट उप तहसीलदार गजसिंहपुर दिनांक 06.01.2022 पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी व प्रति सं. 2 ता 7 चक 74 आरवी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 99 के मु.नं. 29, 7, 6, 15, 26, 57 में कुल 9.2170है. तथा खाता सं. 11 के मु.नं. 25 में 3.6700है. नहरी संयुक्त खाता में धारण करते हैं। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा रिकार्ड दर्ज हैं। वादी को गांव में बिन्द्रराम के नाम से पुकारते थे इसलिए 74 आरवी के खाता सं. 99 व 11 की जमाबंदी 2076–2079 में नाम बिन्द्र सिंह अहीर के स्थान पर गलती से बिन्द्रराम पुत्र सोदागर राम जाति रामदासिया निवासी 74 आरवी दर्ज किया गया हैं। सही नाम बिन्द्र सिंह अहीर हैं। इसलिए वादी अपना नाम रिकार्ड में सही करवाना चाहता हैं। इसी अनुसार दुरूस्ती के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2,5,6,7 द्वारा जवाब ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया हैं। शिविर में उपतहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत की हैं। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बिन्द्र राम की जगह बिन्द्र सिंह अहीर किया जाना उचित होगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 74 आरवी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता सं. 99 व 11 में दर्ज खातेदार के नाम बिन्द्रराम के स्थान पर बिन्द्रसिंह अहीर की दुरूस्ती कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.01.2022 को लिखाया जाकर मजमा-ए-आम में सुनाया गया [illegible] हो। पत्रावली फैंसले [illegible] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर रायसिंहनगर कैम्प – 71 आरवी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:58:30 IST
Reason: SelfAttested